न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, देहरादून।

माध्यस्थम अपील संख्या 03 वर्ष 2022

उत्तराखंड जल विद्युत निगम लि. प्रति मै. पीयूष इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. ।

दिनांक 16.12.2023

पुकार लगाया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता डा0 अजर रब एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत गुप्ता उपस्थित।

2. अपीलार्थी द्वारा यह अपील माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 (2) के अधीन विद्वान माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2022 को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पक्षकारों के मध्य निष्पादित अनुबंध विलेख में यह उपबंधित था कि माध्यस्थम् करार को परिवर्तित कराने के लिए दावाकृत धनराशि का 07 प्रतिशत जमा करना आवश्यक है। इस धनराशि को जमा करने से छूट प्रदान करने हेतु प्रत्यर्थी ने विद्वान माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष दिनांक 28.08.2022 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान माध्यस्थम् अधिकरण ने दिनांक 17. 10.2022 को प्रश्नगत आदेश से प्रत्यर्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया। यह आदेश विधि विरूद्ध है। अतः अपास्त किया जाए।

4. दिनांक 22.11.2023 को प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र कागज संख्या 19ख प्रस्तुत करके कथन किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकरण से संबंधित/समरूप याचिका में दावाकृत धनराशि का 07 प्रतिशत धनराशि मध्यस्थता से पूर्व जमा करने की शर्त को अंसवैधानिक घोषित कर दिया है। अतः यह अपील निरस्त किया जाए।

5. सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

6. इस मामले से संबंधित माध्यस्थम् याचिका संख्या 43 वर्ष 2022 लॉमबाडी इंजिनियरिंग लि. प्रति उत्तराखंड जल विद्युत निगम लि. में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2023 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है–

''102. In View of the aforesaid discussion, we have reached to the conclusion that we should ignore the two conditions contained in Clause 55 of the GCC, one relating to 7% deposit of the total amount claimed and the second one relating to the stipulation empowering the Principal Secretary (Irrigation) Government of Uttarakhand to appoint a sole arbitration and proceed to appoint an independent arbitrator."

7. इस प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुबंध की सामान्य शर्तो की शर्त संख्या 55 के संबंध में यह आदेशित किया गया है कि इस शर्त की उपेक्षा किया जाना चाहिए।

9. इस प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माध्यस्थम् कार्यवाही से पूर्व दावाकृत धनराशि का 07 प्रतिशत धनराशि जमा करने की शर्त को विधिसम्मत नहीं माना गया है। तद्नुसार, विद्वान माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा उपरोक्त उपबंध के संबंध में पारित आदेश अपील योग्य नहीं है और यह अपील इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 03 वर्ष 2022 उत्तराखंड जल विद्युत निगम लि. प्रति मै. पीयूष इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लि. निरस्त की जाती है।

पत्रावली अभिलेखागार प्रेषित की जाए।

(आशुतोष कुमार मिश्र)
अपर जिला जज,
वाणिज्यिक न्यायालय,